

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:-भू.अ./2016/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रवि पुरोहित पिता रमेशचन्द्र पुरोहित नि. पुरोहित का सावता प.ह. मुम्बाडिया के राजस्व ग्राम पुरो-कासावता में जमाबन्दी संवत् 2078-2081 की खाता संख्या 592 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम रवि पुरोहित रमेशचन्द्र पुरोहित किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम रवि पुरोहित का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

*Red*  
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2016/

दिनांक:- / / 2016

निमित्त,

2015 / 1061

पटवार हल्का मुम्बाडिया

18 / 12 / 2015

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बावत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रवि पुरोहित पिता रमेशचन्द्र पुरोहित राजस्व ग्राम पुरोहित का सावता प.ह. मुम्बाडिया की खाता संख्या 592 में जाति/नाम रवि पुरोहित रमेशचन्द्र दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रवि पुरोहित पिता रमेशचन्द्र पुरोहित की जाति/नाम रवि पुरोहित एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. मुम्बाडिया राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

। प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

657  
2015